संख्या– 569 /VI-I/2007–2(27)/2008

प्रेषक,

सुबर्द्धन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
देहरादून।

संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कल्याण अनुभाग — देहरादून दिनांक : 24 नवम्बर, 2008

विषयः–वाशी नवी मुम्बई में उत्तराखण्ड मेला (कौथिक) के आयोजन हेतु अग्रिम आहरण की स्वीकृति के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1593/स0नि0उ0/दो–3/2008–09,दिनांक–19–11–2008 के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या–278/VI-I/2008–2(27)/2007 दिनांक– 6–6–2008 शासनादेश संख्या–208/VI-I/ 2008–2(27)2007 दिनांक–8–5–2008 एवं शासनादेश संख्या–566/VI-I/2008–2(27)2007 दिनांक–21–11–2008 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक– 8–5–2008 के द्वारा आपके निवर्तन पर रखी हुई धनराशि जिसे शासनादेश दिनांक– 21–11–08 द्वारा व्यय हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है, कि सापेक्ष उक्त कार्यकम हेतु रू0 5,18,850.00 (रू0 पांच लाख अट्ठारह हजार आठ सौ पचास मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) के अग्रिम आहरण की स्वीकृति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–4 के नियम 249 के अन्तर्गत प्रदान करते हुए श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय, साथ ही जिन मदों के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने के पूर्व शासन/संबंधित अधिकारी की स्वीकृति भी अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय, जिन मदों हेतु स्वीकृत की जा रही है। अन्य किसी मद में व्यय नहीं किया जायेगा, तथा उक्त आयोजन में हुए वास्तविक व्यय के आधार पर अग्रिम का समायोजन एक माह में सुनिश्चित किया जायेगा, साथ ही गत वर्ष की स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण/समायोजन विषयक प्रमाण–पत्र भी शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4– धनराशि का आहरण बजट एवं परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

5– इस संस्था द्वारा किये जाने वाले कार्यो/प्रोजेक्ट की हार्ड व साफ्ट प्रतिया जैसा लागू है, में पांच प्रतियों में संस्कृति विभाग को अभिलेखों के रूप में उपलब्ध करायें।

6– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2205– कला एवं संस्कृति–00–001–आयोजनागत–निदेशन तथा प्रशासन–03 सांस्कृतिक कार्य निदेशालय–00–42 अन्य व्यय मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

7– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र संख्या–474 (पी)/XXVII(3)/2008 दिनांक–21, नवम्बर, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 569 /VI-I/2008– 2(9)/2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
4. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
7. बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. एन.आई.सी. उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(श्याम सिंह)
अनुसचिव